हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	गौरीशंकर बनाम रा० सरकार व०गै०	
5/7/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 14/7/25 को पेश हो। 14/7/25	
14/7/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 15/7/25 को पेश हो।	
15/7/25	पत्रावली पेश हुई अधि० वादी उप० PW-1 गौरीशंकर, PW-2 - दिनेश, PW-3 राम-भरोसी ने शपथ पत्र पेश कर शामिल पत्रावली किये। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक 4/8/25 को पेश हो।	गौरीशंकर भरोसी दिनेश नि० रामभरोसी
4/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उप० अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते साक्ष्य वादी बंद किये जाते हैं। अधि० वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/8/25 को पेश हो।	
18/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उप० पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 21/8/25 को पेश हो।	
21/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उप० वादपत्र वादी स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुना दिया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकार उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 04/2025

1. गौरीशंकर पुत्र रामभरोसी जाति कुशवाह निवासी पिचूना तहसील उच्चैन।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....असल प्रतिवादी

2. नरेन्द्र
3. रामेश्वर पिसरान रामभरोसी जाति कुशवाह निवासी पिचूना तहसील उच्चैन।

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री नरेन्द्र पाल एडवोकेट वादी

निर्णय **दिनांकः—21.08.2025**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खाता संख्या 210 वाके ग्राम पिचूना तहसील उच्चैन में स्थित है जो कि मुझ वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी है। मुझ वादी का सही नाम गौरीशंकर है किन्तू मुझ वादी ने वयनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कराते समय गौरीशंकर के स्थान पर गोरखी नाम सहवन से गलत दर्ज हो गया है जबकि सही नाम गौरीशंकर है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी मुझ वादी को केसीसी बनवाने हेतु जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुई। राजस्व रिकार्ड में हो रहे उक्त गलत इन्द्राज को सही करबाने हेतु मुझ वादी ने जब तहसीलदार उच्चैन से निवेदन किया तो तहसीलदार उच्चैन के द्वारा गलत नाम को शुद्ध करने से इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा जिसके कारण वादी ने उक्त वादपत्र इस न्यायालय में वादी का गलत नाम गोरखी कलमजन कर सही नाम गौरीशंकर शुद्ध किये जाने की घोषणा बाबत् पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबंदी व पूर्व जमाबंदी में भी गोरखी पुत्र रामभरोसी दर्ज रिकार्ड है एवं मौके पर जानकारी व आधार कार्ड, राशनकार्ड में गौरीशंकर पुत्र भरोसीलाल

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

दर्ज है। मौके पर जानकारी से पता चला कि गौरीशंकर का ही नाम गोरखी है। अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र में गौरीशंकर, दिनेश एवं रामगरोसी के शपथ पत्र पेश किये है।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का सही नाम गौरीशंकर है किन्तु वयनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कराते समय गौरीशंकर के स्थान पर सहवन से गोरखी गलत दर्ज कर दिया है जबकि वादी का सही नाम गौरीशंकर है एवं अन्य सभी पहचान दस्तावेजों में वादी का सही नाम गौरीशंकर ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम गोरखी के स्थान पर गौरीशंकर दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं अन्य सभी पहचान दस्ताबेज एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा उक्त वादपत्र के वयनामा एवं नामान्तकरकरण की प्रामाणित प्रतिलिपी पेश नहीं की है जिनके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाता की वादी का नाम गोरखी किस आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। स्पष्ट दस्ताबेजी साक्ष्यों के अभाव में वादी का वादपत्र खारिज योग्य है।

अतः आदेश हैः—

वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर